संख्या-2/67/इक्कीस-उर्दू-2-2014 (2/2012)

प्रेषक,

शाहिद अली,
अनु सचिव (भाषा)
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0 इलाहाबाद।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 अगस्त,2014

विषय- उर्दू प्रवीणता परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र चरित्र पंजिकाओं में रखने के संबंध में।

महोदय,

शासन द्वारा संचालित उर्दू प्रवीणता परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को दिये जाने वाले प्रमाण-पत्रों को संबंधित कार्मिक की चरित्र पंजिका में रखे जाने के पूर्व से निर्देश् हैं।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र जारी करते समय संबंधित कार्मिक की चरित्र पंजिका में आवश्यक रूप से रखे जाने हेतु उसकी एक प्रति संबंधित कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए तथा आपकी ओर से समस्त विभागाध्यक्षें को परीक्षा के आयोजन के संबंध में भेजे जाने वाले पत्र में इन निर्देशों का आवश्यक रूप से उल्लेख कर दिया जाए।

3- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-64/इक्कीस-उर्दू-2-2014 (2/2012) दिनांक 01 अगस्त,2014 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि में व्रद्धि की गई है। अत: आप द्वारा जारी विज्ञप्ति/पत्र में तदनुसार संशोधन कर लिया जाए।

संलग्नक- 1-यथोपरि।

भवदीय,

(शाहिद अली)
अनु सचिव (भाषा)

http://shasnadesh.up.nic.in

http://shasnadesh.up.nic.in